न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट मुख्यालय ग्राम पंचायत चीथवाडी)
मु.न. 156/2011

उनवान

1. छीतर पुत्र स्व. श्री छिगना
2. नारू पुत्र स्व. श्री छिगना
3. गुल्ला पुत्र स्व. श्री छिगना
4. भागीरथ पुत्र स्व. श्री छिगना
समस्त जाति जाट निवासी नाडावाली ढाणी, ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. हनुमान पुत्र स्व. श्री नानू
2. कालू पुत्र स्व. श्री नानू
3. चन्दा पुत्र स्व. श्री नानू (मृतक दौराने दावा)
3/1 नन्छी देवी पत्नी स्व. चन्दा
3/2 शंकरलाल पुत्र स्व. चन्दा
3/3 सोहन पुत्र स्व. चन्दा
समस्त जाति जाट निवासी नाडावाली ढाणी ग्राम चीथवाडी तहसील चौमूं जिला जयपुर।
3/4 मोसम पुत्री स्व. चन्दा पत्नी सुनील कुमार टोडावता जाति जाट निवासी राधास्वामी बाग कस्बा चौमूं जिला जयपुर।
4. जगदीश पुत्र स्व. श्री नानू
5. मुरली बेवा नाथू
समस्त जाति जाट निवासी नाडावाली ढाणी ग्राम चीथवाडी तहसील चौमूं जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 14.05.2018

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत चीथवाडी मे पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वाके ग्राम वादीगण की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1330 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1331 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1332 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1336 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1337 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1338 रकबा 0.79 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1347 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1427 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1428 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1434 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1435 रकबा 0.28 हैक्टेयर कुल किता 12 का कुल रकबा 3.51 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम चीथवाडी तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें खसरा नम्बर 1330, 1331, 1332 की भूमि ही इस वाद पत्र में विवादग्रस्त हैं, जिसके आगे के मदों में भूमि विवादग्रस्त कहा गया हैं।

चौमूं जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

उक्त भूमि विवादग्रस्त की एक मात्र खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से दर्ज है, जिस पर वादीगण पुश्तैनी रूप से काबिज होकर भूमि विवादग्रस्त का उपयोग उपभोग कर फायदा उठाते चले आ रहे है, तथा अपने रहवास हेतु खाम व पुख्ता मकानात बना कर निवास कर रहे है एवं फसल उत्पादन कर अपना व अपने परिवार का पालना पोषण करते चले आ रहे है तथा नियमित रूप से लगान सरकार में जमा करवाते आ रहे है तथा वर्तमान में मौके पर बाजरे की फसल बो रखी हैं।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 वादीगण की भूमि विवादग्रस्त पर जबरन कब्जा करने के मंशुबे को पूरा करने के उद्देश्य से दिनांक 20.08.2011 को अपने साथ 6–7 आदमियों को साथ लेकर भूमि विवादग्रस्त की सींव डोल को फोड कर उसमें जबरन प्रवेश कर लिया व वादीगण की फसल को नष्ट करने लगे व पत्थर, रोडी आदि डाल कर कब्जा करने लगे व जबरन रास्ता बनाने लगे तो वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को मना किया तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने ऐलानिया धमकी दी, कि हम तुम्हारी भूमि पर जबरन कब्जा करके इसमें से रास्ता निकालेंगे और तुम्हे बेदखल करके रहेंगे। इस कारण वादीगण को उक्त वाद पेश करना लाजमी हुआ हैं।

वाद कारण दिनांक 20.08.2011 को प्रतिवादीगण द्वारा भूमि विवादग्रस्त पर आकर उपरोक्त प्रकार से सींव डोल फोडने व कब्जा करने की कोशिश करने व धमकी दिये जाने से उत्पन्न हो अब तक जारी हैं।

प्रतिवादी संख्या 6 राज्य सरकार के अधिनस्थ कर्मचारी है जिनको लैण्डहोल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है, जिसके विरूद्ध यह वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण उन्हें बिना नोटिस दिये प्रस्तुत करने की इजाजत हेतु एक अलग से प्रार्थना–पत्र धारा 80(2) जाप्ता दीवानी वाद पत्र के साथ प्रस्तुत हैं।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण भूमि विवादग्रस्त में ना ही अनाधिकृत रूप से प्रवेश करे, ना ही खाम या पुख्ता निर्माण करे, ना ही कब्जा करे, ना ही की सींवडोल का तोडफोड करे, ना ही वादीगण के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में बाधा कारित करे, ना ही वादीगण के कब्जे काश्त में दखल कारित करे ना ही प्रतिवादी संख्या 6 राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करे, ना ही प्रतिवादीगण उक्त कृत्य स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवायें।

वादीगण के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। उभयपक्षकारान उपस्थित। वादीगण को सुना गया। वादीगण आराजी का खातेदार काश्तकार है। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकलन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभेग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1330 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1331 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1332 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता

Scanned by CamScanner

3 का कुल रकबा 0.30 हैक्टेयर, वाके ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर जिसमें वादी ही इकलौता खातेदार है कि हद तक उभयपक्षकार अपनी खातेदारी भूमि में बने रहकर काश्त करते रहेंगे तथा एक–दूसरे की खातेदारी भूमि में दखलन्दाजी नही करेंगे तथा प्रार्थी/वादी द्वारा न्यायालय सम्मुख उपस्थित होकर बात रखने के सापेक्ष उभयपक्षों को पूर्व से कायम सीमा चिन्हों के साथ किसी प्रकार की दखलअंदाजी एवं पूर्व से कायम सीमा चिन्हों को नष्ट, क्षतिग्रस्त नही करने के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट चीथवाडी में सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट मुख्यालय चीथवाडी)
पीठासीन अधिकारी :– प्रियव्रत सिंह चारण (R.A.S)
मुकदमा नम्बर :– **156/2011**

उनवान

1. छीतर पुत्र स्व. श्री छिगना
2. नारू पुत्र स्व. श्री छिगना
3. गुल्ला पुत्र स्व. श्री छिगना
4. भागीरथ पुत्र स्व. श्री छिगना
   समस्त जाति जाट निवासी नाडावाली ढ़ाणी, ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. हनुमान पुत्र स्व. श्री नानू
2. कालू पुत्र स्व. श्री नानू
3. चन्दा पुत्र स्व. श्री नानू (मृतक दौराने दावा)

3/1 नन्छी देवी पत्नी स्व. चन्दा
3/2 शंकरलाल पुत्र स्व. चन्दा
3/3 सोहन पुत्र स्व. चन्दा
समस्त जाति जाट निवासी नाडावाली ढाणी ग्राम चीथवाडी तहसील चौमूं जिला जयपुर।
3/4 मोसम पुत्री स्व. चन्दा पत्नी सुनील कुमार टोडावता जाति जाट निवासी राधास्वामी बाग कस्बा चौमूं जिला जयपुर।

4. जगदीश पुत्र स्व. श्री नानू
5. मुरली बेवा नाथू
   समस्त जाति जाट निवासी नाडावाली ढाणी ग्राम चीथवाडी तहसील चौमूं जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

<u>वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा</u>

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है की वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आशिक स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1330 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1331 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1332 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.30 हैक्टेयर, वाके ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर जिसमें वादी ही इकलौता खातेदार है कि हद तक उभयपक्षकार अपनी खातेदारी भूमि में बने रहकर काश्त करते रहेंगे तथा एक–दूसरे की खातेदारी भूमि में दखलन्दाजी नही करेंगे तथा प्रार्थी/वादी द्वारा न्यायालय सम्मुख उपस्थित होकर बात रखने के सापेक्ष उभयपक्षों को पूर्व से कायम सीमा चिन्हों के साथ किसी प्रकार

Scanned by CamScanner

की दखलअंदाजी एवं पूर्व से कायम सीमा चिन्हों को नष्ट, क्षतिग्रस्त नही करने के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता हैं।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चीथवाडी मे आज तारीख 14.05.2018 को जारी किया गया।

मोहर

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	1	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner